उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 18.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जनपद महोबा की साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा साइबर ठगी के ₹ 09 लाख पीडित के खाते में वापस कराये गये हैं, धनराशि अपने बैंक खाते में वापस पाकर पीड़ित ने महोबा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है...।

आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनसे उनके बैंक खाते एवं क्रेडिट कार्ड आदि से जुडी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर धोखाधडी की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजनमानस को नियमित साइबर अपराध के प्रति जागरुक कर उनकों सचेत किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइबर थाने का गठन किया गया है।

जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में व साइबर क्राइम पुलिस थाना में नियुक्त निरीक्षक मो0 फहीम अख्तर के नेतृत्व में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस टीम महोबा द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में साइबर ठगी के शिकार पीडित आवेदक ए. के. त्रिपाठी पुत्र रूद्र प्रताप निवासी विकास भवन रोड मु0 सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा ने 09 लाख रु. की धोखाधडी के संदर्भ मे ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम मे साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा प्रार्थना पत्र की जाँच की गयी, जाँच के दौरान आवेदक/पीडितों के साथ हुयी साइबर ठगी में खाते से निकाली गयी धनराशि को वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये पेमेण्ट गेटवे/सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पीडित की सम्पूर्ण धनराशि 09 लाख रु. इनके खाते में वापस करायी गयी है। थाना साइबर क्राइम जनपद महोबा पुलिस टीम के द्वारा की गयी इस त्वरित कार्यवाही से पीडित अपने रुपये वापस पाकर अत्यन्त प्रसन्न है, पीडित ने पुलिस अधीक्षक महोबा व साइबर क्राइम थाना जनपद महोबा की पुलिस टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया है। पीडित स्वयं साइबर थाने पर उपस्थित होकर उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए साइबर थाने को अपना धन्यवाद पत्र दिया है।

धनराशि वापस कराने वाली थाना साइबर क्राइम महोबा पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक मो० फहीम अख्तर, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद महोबा
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह 3. कां0 सुरजीत कुमार
4. कां0 अमनदीप सिंह 5. कां0 मनीष सिंह

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा/मिस कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक- 17.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष थाना अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 आकाश मौर्य व का0 सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखिबर की सूचना पर थानाक्षेत्र अन्तर्गत नहर कोठी पुलिया के पास बहद ग्राम अजनर थाना अजनर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त भान प्रताप पुत्र खुमान पाल उम्र करीब 32वर्ष निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा मिस कारतूस 12 बोर की बरामदगी की गयी है। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर थाना अजनर में मु.अ.सं. 113/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य थाना अजनर जनपद महोबा।
2. का0 सौरभ सिंह थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भान प्रताप पुत्र खुमान पाल उम्र करीब 32वर्ष निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा मिस कारतूस 12 बोर नाजायज।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"शस्त्रों की साफ-सफाई का आयोजन"

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांकः- 18.05.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन महोबा स्थित क्वार्टर गार्द में शस्त्रों की साफ-सफाई का कार्य संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अनुशासित रूप से अपने-अपने शस्त्रों की नियमित साफ-सफाई की गई।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य शस्त्रों की क्रियाशीलता को बनाए रखना तथा किसी भी आपात स्थिति में उनकी तत्परता सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार द्वारा समस्त शस्त्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए हैं।

जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह व जनपदीय एसओजी टीम प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त वासुदेव बहेलिया पुत्र धनपाल उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी बरमपुरी पिलखना थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रअन्तर्गत कीरत सागर तालाब आल्हा मंच के पास बहद मु0 पत्तीवरा से हिरासत में लिया गया है, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 230/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण व बरामदगी-

वासुदेव बहेलिया पुत्र धनपाल उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी बरमपुरी पिलखना थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, श्री अर्जुन सिंह
2. उ0नि0 गौरव चौबे, चौकी प्रभारी सुभाष 3. उ0नि0 सनय कुमार चौकी प्रभारी मनियादेव
4. कां0 सूरज

एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिव प्रताप सिंह, प्रभारी स्वॉट टीम महोबा
2. का0 निर्भय सिंह 3. का0 रंजीत सिंह
4. का0 आशीष बघेल 5. का0 कुलदीप यादव 6. का0 अभिषेक दुबे

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
मुकदमें में वाछित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांकः- 18.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 वीरेन्द्र सिह व उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2025 140(3) /115(2) /351(3) /64 BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त भवानीदीन पुत्र बंशी अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा को अपना होटल कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। वाछिंत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र सिह
2. उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त :-

भवानीदीन पुत्र बंशी अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांकः- 18.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराह हे.कां. प्रियंक कुमार व हे0का0 लोकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत कुनेहटा रोड बहद ग्राम ग्योडी के पास से चेकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त शिवस्वरूप पुत्र जागेश्वर द्विवेदी उम्र करीब 57 वर्ष निवासी मोहाल उपरौस ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ है, अभियुक्त के कब्जे से हुए बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शिवस्वरूप उपरोक्त के विरूद्ध थाना खन्ना में मु.अ.सं. 57/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवस्वरूप पुत्र जागेश्वर द्विवेदी उम्र 57 वर्ष निवासी मोहाल उपरौस ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. अनुरुद्ध प्रताप सिंह
2. हे.कां.प्रियंक कुमार
3. हे0का0 लोकेश प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा शांति व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर क्षेत्रअन्तर्गत धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण एवं संवेदनशील स्थानों/बाजारों/मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल गस्त।

आज दिनांकः- 18.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में सुदृढ़ सुरक्षा एवं बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा अराजकतत्वों पर पैनी नजर रखे जाने के उद्देश्य से थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत शहर के व्यस्ततम स्थलों क्रमशः तहसील चौराहा, आल्हा चौक, ऊदल चौक, सराफा बाजार, झलकारीबाई तिराहा, परमानंद चौक इत्यादि स्थलों में भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाली जगहों तथा प्रमुख कस्बों/बाजारों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों में पैदल गस्त किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सराफा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें व उनसे संवाद कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालें वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। इस दौरान यातायात जागरुकता पम्पलेट को वाहनों पर चस्पा कर यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा यातायात नियमों का पालन किये/कराये जाने हेतु अपील की गयी ।

इसी दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।